हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाएँ

राज्य प्रायोजित

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना – हस्तकरघा बुनकरों के लिए शतप्रतिशत अनुदान पर नया लूम क्रय करने हेतु मो0 15,000/–(पन्द्रह हजार मात्र) रू0, कर्मशाला निर्माण हेतु मो0 40,000/–(चालिस हजार मात्र) रू0, एवं कार्पस फंड हेतु (मार्जिन मनी) मो0 5,000/– (पाँच हजार मात्र) रू0 लाभुको के बैंक खाता में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

– भागलपुर, बांका, नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, मधुबनी, सीवान, पटना के जिले के 6271 हस्तकरघा बुनकरों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

– वित्तीय वर्ष 2015–16 में रंगरेज आर्टिजन को सामिल करते हुए रंगरेज एवं बुनकरों के लिए भागलपुर, बांका, नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, मधुबनी, सिवान एवं पटना जिले के लिए मो0 888.00 लाख रू0 स्वीकृति प्रदान की गई है।

संलग्न –
1. स्वीकृत्यादेश
2. बुनकरो के लिए दिशा–निर्देश
3. रंगरेजों के लिए दिशा–निर्देश

विद्युतकरघा टैरिफ अनुदान

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश सं0–1115 दि0–18.06.15 द्वारा राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों के लिए 3.00 रू0 प्रति यूनिट अनुदान देने हेतु मो0 220.00 (दो सौ बीस लाख मात्र) रू0 स्वीकृति प्रदान की गई है। उर्जा विभाग को आवंटन उपलब्ध करा दी गई है।

संलग्न–
1. स्वीकृत्यादेश
2. अधिसूचना
3. पंजीयन हेतु विहित प्रपत्र

प्रशिक्षण–

कौशल विकास मिशन के तहत वस्त्र प्रक्षेत्र एवं जूट प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वस्त्र प्रक्षेत्र– अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाईन सेंटर, पटना, गया मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, सासाराम, सीवान,सहरसा तथा खगड़ियाँ में 1–2 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम अपेरल सेक्टर के लिए संचालित की जा रही है। 3732 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

संलग्न–
1. स्वीकृत्यादेश
2. प्रगति प्रतिवेदन

जूट प्रक्षेत्र– सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क, पूर्णिया द्वारा जूट सेक्टर में 1 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णिया में संचालित की जा रही है।

–बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण

राज्य के छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों यथा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, चाकन्द (गया), ओबरा (औरंगाबाद), काको (जहानाबाद), झिंगनगर (नालन्दा), अम्बाबाग (भागलपुर), अमरपुर (बांका) सहित केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना तथा पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण एवं सह उत्पादन केन्द्र, बरारी (भागलपुर) में संचालित है, जहाँ एक वर्षीय एवं छः माह का बुनाई एवं डिजाईन में 204 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते है जिन्हें प्रति माह 800/– रू0 छात्रवृत्ति दिया जाता है।

शिक्षण–

भारतीय हस्तकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान, शांतिपूर, पश्चिम बंगाल, में बारह सीटों पर राज्य के अभ्यार्थीयों को तीन वर्षीय हैण्डलूम डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुशंसा की जाती है। इसके लिए राज्य योजना मद से छात्रवृति उपलब्ध कराई जाती है।

बिहार बुनकर कल्याण समिति–

माननीय मंत्री, उद्योग की अध्यक्षता में बिहार बुनकर कल्याण समिति गठित है, बुनकर कल्याण समिति सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित संस्था है। मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्तआयुक्त, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के अतिरिक्त पांच गैर सरकारी सदस्य के रूप में बुनकर नामित हैं। बुनकर कल्याण समिति का मुख्य उद्वेश्य बुनकरों के विकास हेतु योजनाओं की परिकल्पना, अनुश्रवण एवं समीक्षा करना हैं। समिति के नियन्त्राधिन एक बुनकर कल्याण कोष है। वर्त्तमान में कोष की राशि से बुनकर छात्रवृति योजना बुनकर पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है।

संलग्न –
1. संस्था के निबंधन का प्रमाण–पत्र
2. माननीय उद्योग मंत्री के अध्यक्ष संबंधि अधिसूचना
3. पाँच गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन संबंधि अधिसूचना

हस्तकरघा विकास योजना

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक— पटना, दिनांक—...............2015

प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार'

विषयः—मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत बांका जिला के ग्यारह कलस्टरों के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉरपस मनी तथा कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015—16 में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए रू0 365.75 लाख (तीन करोड़ पैसठ लाख पचहत्तर हजार) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या—4052 दिनांक—21.08.2012, राज्यादेश संख्या—1415 दिनांक—25.03.2013 एवं राज्यादेश सं0—227 दिनांक—14.02.2014 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत बांका जिला के ग्यारह हस्तकरघा कलस्टरों मसरिया, दसेडा डाडा, डहआ, घोपसण्डा, चन्द्रपरा, जयपर, दौना, धोबीन, बेगपुर एवं चिलमिल के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉरपस मनी, कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015—16 में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए रू0 365.75 लाख (तीन करोड़ पैसठ लाख पचहत्तर हजार) (संलग्न परिशिष्ट—I के अनुसार) व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. राज्यादेश सं0—227 दि0 14.02.14 द्वारा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन राशि की निकासी नहीं होने के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

3. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष—2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103—हथकरघा उद्योग, मॉग संख्या—23, उप शीर्ष—0103—हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड—P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड—IND-5438 में विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

4. योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट—I के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें। जो राशि की निकासी कर विभागीय संकल्प संख्या 2005 दिनांक 20.04.12 में निहित प्रक्रियानुसार राशि उपलब्ध करावेंगे।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के कार्यावयन में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 2005 दिनांक—20.04.12 तथा इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक—1491 दिनांक—10.09.13 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी नये विहीत प्रपत्र में **BTC-42A** में उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध करायेगें।

7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका सं0:—*1/उ0(स0)यो0स्वी0(हस्त0)—01/2012* के पृष्ट—08/टि0 पर दिनांक 27.03.12 को प्राप्त है।

8. यह राज्यादेश संचिक संख्याः—ह0क0(10)विविध—35/2015 के पृष्ट 7/टि0 पर दिनांक—21.07.15 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

9. वित्त विभागीय पत्रांकः—7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक—व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन
ह0/—
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— *पटना, दिनांक—*

प्रतिलिपिः—व्यय विवरणी सहित, जिला कोषागार, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/—
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— *पटना, दिनांक—*

प्रतिलिपिः—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/—
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 3002 *पटना, दिनांक—* 22/07/2015

प्रतिलिपिः—व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/ आय—व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/बजट शाखा, उद्योग विभाग (पाँच प्रतियॉं)/ संयुक्त उद्योग निदेशक(तकनीकी), ह०रे० निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/ जिला पदाधिकारी, बांका/प्रबंधक निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/आई0टी0 मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

22.7.15
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

क्र0 सं0	जिला का नाम	कलस्टर का नाम	कार्यान्वयन पदा0 / निकासी एवं व्ययन पदा0	नये करघे क्रय करने हेतु		मार्जिन मनी		कर्मशाला निमार्ण		प्रचार–प्रसार मूल्यांकन राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	जिला कोषागार का नाम
				भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बांका	मसूरिया, दसेड़ा डाडा, डहुआ, घोपसण्डा, चन्द्रपुरा, जयपुर, दौना, धोबीन, बेगपुर एवं चिलमिल	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका	1100	165	1100	55	363	145.2	0.55	365.75	बांका

कुल राशि–365.75 लाख़ (तीन करोड़ पैसठ लाख पचहत्तर हजार)

संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–   पटना, दिनांक–...............2015

प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार'

विषयः–मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत औरंगाबाद जिला के एक कलस्टर के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉरपस मनी तथा कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए रू0 33.25 लाख (तैंतीस लाख पच्चीस हजार) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–4052 दिनांक–21.08.2012, राज्यादेश संख्या–1415 दिनांक–25.03.2013 राज्यादेश सं0–227 दिनांक–14.02.2014 एवं राज्यादेश सं0–3002 दि0–22.07.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत औरंगाबाद जिला के वारूण कलस्टर के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉरपस मनी, कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए रू0 33.25 लाख (तैंतीस लाख पच्चीस हजार) (संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार) व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है ।

2. राज्यादेश सं0–227 दि0 14.02.14 द्वारा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्त विभाग के पत्रांक–3149 दि0 26.03.2015 के आलोक में निकासी की गई राशि 31 मार्च 2015 तक कोषागार में जमा करने का निदेश दिया गया।

3. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मॉग संख्या–23, उप शीर्ष–0103–हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–P2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5438 में विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 वि0(2) दि0–17.04.98 के कंडिका–02 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

5. योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट–I के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें। जो राशि की निकासी कर विभागीय संकल्प संख्या 2005 दिनांक 20.04.12 में निहित प्रक्रियानुसार राशि उपलब्ध करावेंगे।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के कार्यावयन में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 2005 दिनांक–20.04.12 तथा इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया एवं निदेशालयै आदेश ज्ञापांक–1491 दिनांक–10.09.13 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी नये विहीत प्रपत्र में **BTC-42A** में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध करायेगें।

8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका सं0:–*1/उ0(स0)यो0स्वी0(हस्त0)–01/2012* के पृष्ट–08/टि0 पर दिनांक 27.03.12 को प्राप्त है।

9. यह राज्यादेश संचिक संख्या:–ह0क0(10)विविध–35/2015(खण्ड–I) के पृष्ट 8/टि0 पर दिनांक–24.07.15 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या–209/OSD दिनांक –20.07.15 है।

10. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– *पटना, दिनांक–*

प्रतिलिपिः–व्यय विवरणी सहित, जिला कोषागार, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– *पटना, दिनांक–*

प्रतिलिपिः–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह०क० (10) विविध - 35/15(खण्ड-I) 3075 *पटना, दिनांक–* 29/07/2015

प्रतिलिपिः–व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/ आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/बजट शाखा, उद्योग विभाग (पाँच प्रतियाँ)/ अपर उद्योग निदेशक(तकनीकी), ह०रे० निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/ जिला पदाधिकारी, बांका/प्रबंधक निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/आई0टी0 मैनेजर उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–I

क्र0 सं0	जिला का नाम	कलस्टर का नाम	कार्यान्वयन पदा0 / निकासी एवं व्ययन पदा0	नये करघे क्रय करने हेतु		मार्जिन मनी		कर्मशाला निमार्ण		प्रचार–प्रसार मूल्यांकन राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	जिला कोषागार का नाम
				भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	औरंगाबाद	वारूण	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद	100	15.00	100	5.0	33	13.2	0.05	33.25	औरंगाबाद

कुल राशि–33.25 लाख (तैंतीस लाख पच्चीस हजार)

संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–

पटना, दिनांक–.................2015

प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार'

विषयः–मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत राज्य के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण तथा रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को रंगाई का साज–सामान, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए रू0 489.00 लाख (चार करोड़ नवासी लाख) व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–4052 दिनांक–21.08.2012, राज्यादेश संख्या–1415 दिनांक–25.03.2013 राज्यादेश सं0–227 दिनांक–14.02.2014 राज्यादेश सं0–3002 दि0–22.07.15 एवं राज्यादेश सं0–3075 दि0–29.07.15 के क्रम में कहना है कि राज्य के सहकारिता एवं गैर सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को नये करघे, कॉरपस मनी, कर्मशाला निर्माण तथा रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को रंगाई का साज–सामान, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए क्रमशः रू0 156.50 लाख (एक करोड़ छप्पन लाख पच्चास हजार) (संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार) एवं रू0 332.50 (तीन करोड़ बत्तीस लाख पच्चास हजार) (संलग्न परिशिष्ट–II के अनुसार) व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान करने की कृपा की है ।

2. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मॉग संख्या–23, उप शीर्ष–0103–हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–**P**2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5438 में विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

3. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 वि0(2) दि0–17.04.98 के कंडिका–02 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।

4. योजना के व्यय विवरणी परिशिष्ट– I एवं II के अनुसार योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें। जो राशि की निकासी कर विभागीय संकल्प संख्या 2005 दिनांक 20.04.12 में निहित प्रक्रियानुसार राशि उपलब्ध करावेंगे।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के कार्यान्वयन में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 2005 दिनांक–20.04.12 तथा इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक–1491 दिनांक–10.09.13 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित विहित प्रक्रिया तथा रंगरेज आर्टिजन को शामिल करने हेतु निर्गत संकल्प सं0–1153 दि0–24.06.15 एवं योजना के कार्यान्वयन में पुरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी की गई दिशा निदेश एवं विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन पदाधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी नये विहीत प्रपत्र में **BTC-42A** में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध करायेगें।

E:\Handloom Shman Shakha, c drive\Dilip kumar\Aanand Gi\Letter

7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका सं0:–*1/उ0(स0)यो0स्वी0(हस्त0)–01/2012* के पृष्ट–08/टि0 पर दिनांक 27.03.12 को प्राप्त है।

8. यह राज्यादेश संचिक संख्या:–ह0क0(10)विविध–35/2015 (खण्ड–I) के पृष्ट 8/टि0 पर दिनांक–24.07.15 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या–209/OSD दिनांक –20.07.15 है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक:–7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक–व्यय विवरणी ।

विश्वासभाजन
ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3085 *पटना, दिनांक–* 29/07/2015

प्रतिलिपि:–व्यय विवरणी सहित, जिला कोषागार, भागलपुर/बांका/सिवान/रोहतास/नवादा/मधुबनी/पटना/औरंगाबाद/नालन्दा/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/7/15
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत राज्य के सहकारिता एवं गैर सहकारिता बुनकरों को नये करघे, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण
(वित्तीय वर्ष–2015–16)
परिशिष्ट–I

क्र0 सं0	जिला का नाम	कलस्टर का नाम	कार्यान्वयन पदा0/निकासी एवं व्ययन पदा0	नये करघे क्रय करने हेतु		मार्जिन मनी		कर्मशाला निमार्ण		प्रचार–प्रसार मूल्यांकन राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	जिला कोषागार का नाम
				भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	भागलपुर	पीरपैंती	उप विकासी पदा0(वस्त्र), भागलपुर	50	7.5	50	2.5	16	6.4	0.05	16.45	भागलपुर
		हुसैनाबाद		50	7.5	50	2.5	16	6.4	0.05	16.45	
		नाथनगर		25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	
2.	बांका	सिंगारपुर	महाप्रबंधक जि0उ0के0, बांका	50	7.5	50	2.5	16	6.4	0.05	16.45	बांका
		चलना		50	7.5	50	2.5	16	6.4	0.05	16.45	
		डुमरावा		25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	
3.	मधुबनी	लहेरीया सराय	महाप्रबंधक जि0उ0के0, मधुबनी	25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	मधुबनी
		लोहाकपस्या		25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	
		लौफा		25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	
4.	नवादा	बरतारा	महाप्रबंधक जि0उ0के0, मधुबनी	50	7.5	50	2.5	16	6.4	0.05	16.45	नवादा
		गोपालगंज		25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	
5.	सिवाना	जमालहाता	महाप्रबंधक जि0उ0के0, सिवान	25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	सिवान
6.	रोहतास	अकोढ़ीगोला	महाप्रबंधक जि0उ0के0, रोहतास	25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	रोहतास
7.	पटना	सिगोड़ी	महाप्रबंधक जि0उ0के0, पटना	25	3.75	25	1.25	8	3.2	0.05	8.25	पटना
			कुल राशि	**475**	**71.25**	**475**	**23.75**	**152**	**60.8**	**0.70**	**156.50**	

कुल राशि–156.50 (एक करोड़ छप्पन लाख पच्चास हजार) रूपये

संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत राज्य के रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन को रंगाई का साज–सामान, कॉर्पस मनी तथा कर्मशाला निर्माण

(वित्तीय वर्ष–2015–16)

परिशिष्ट–II

क्र0 सं0	जिला का नाम	कार्यान्वयन पदा0 / निकासी एवं व्ययन पदा0	साज सज्जा क्रय करने हेतु		मार्जिन मनी		कर्मशाला निमार्ण		प्रचार–प्रसार मूल्यांकन राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	जिला कोषागार का नाम
			भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य	राशि (लाख में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भागलपुर	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर	150	22.50	150	7.5	50	20.0	0.05	50.05	भागलपुर
2.	गया	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया	150	22.50	150	7.5	50	20.0	0.05	50.05	गया
3.	बांका	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, बांका	150	22.50	150	7.5	50	20.0	0.05	50.05	बांका
4.	नालन्दा	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, नालन्दा	150	22.50	150	7.5	50	20.0	0.05	50.05	नालन्दा
5.	पटना	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, पटना	150	22.50	150	7.5	50	20.0	0.05	50.05	पटना
6.	नवादा	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, नवादा	50	7.5	50	2.5	16	6.40	0.05	16.45	नवादा
7.	मधुबनी	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, मधुबनी	50	7.5	50	2.5	16	6.40	0.05	16.45	मधुबनी
8.	सिवान	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, सिवान	50	7.5	50	2.5	16	6.40	0.05	16.45	सिवान
9.	रोहतास	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, रोहतास	50	7.5	50	2.5	16	6.40	0.05	16.45	रोहतास
10.	औरंगाबाद	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, औरंगाबाद	50	7.5	50	2.5	16	6.40	0.05	16.45	औरंगाबाद
		कुल राशि–	1000	150.0	1000	50.0	330	132.0	0.50	332.50	

कुल राशि–332.50 (तीन करोड़ बत्तीस लाख पच्चास हजार)रूपये

संयुक्त सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

2.

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक .... / पटना, दिनांक .... / 2015

सं0सं0--ह0क0(10) विविध–35 / 2015

प्रेषक,

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बाँका / नालन्दा / नवादा / सिवान / पटना / रोहतास / औरंगाबाद / मधुबनी।
उप विकास पदा0(वस्त्र)
भागलपुर / गया।

विषयः– **मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना वर्ष 2015–16 के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना वर्ष 2015–16 का क्रियान्वयन ससमय एवं पारदर्शी तरीके से हो इसके निमित रूप से कारवाई की जाए।

–योजना से पूर्व में निर्गत संबंधित दिशा–निदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।

– योजना के पात्र बुनकरों के लिए र्निधारित शर्तो के अनुसार बुनकरों से आवेदन प्राप्त करेंगे उसके उपरान्त प्रत्येक कलस्टर के लिए अलग–अलग पंजी का संधारण करेंगे।

–क्रियान्वयन पदा0 प्राप्त आवेदन का स्थल निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ समेकित सूची आधार कार्ड नं0 के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

–तदोपरान्त निदेशालय के निदेशानुसार चयन की प्रक्रिया की कारवाई करेगे।

इसे अति आवश्यक समझा जाये।

अनु0–विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन
ह0 / –
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2006 पटना / दिनांक– 04/11/15

प्रतिलिपि–1. श्री अशोक कुमार देव, त0प0, हस्तकरघा सघन विकास की योजना, गया / श्री ओम प्रकाश सिंह, त0प0 हस्तकरघा सघन विकास की योजना, भागलपुर / श्री रजनी कान्त रंजन, पर्यवेक्षक, बु0प्र0के0, झींगनगर, नालन्दा / श्री उपेन्द्र कु0 वर्मा, पर्यवेक्षक, बु0प्र0के0, ओबरा, औरंगाबाद / श्री महेश कुमार, त0प0 हस्तकरघा सुदृढ़ीकरण की योजना, पटना को अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी बाँका / नालन्दा / नवादा / सीवान / पटना / रोहतास / औरंगाबाद / मधुबनी / भागलपुर / गया को सूचनार्थ प्रेषित।

3. आई टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किया जाए।

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना (वर्ष 2015–16)
आवेदको की सूची

माह–

जिला का नाम–
कलस्टर का नाम–
कार्यान्वयन पदाधिकारी–

क्र0 स0	लाभुक का नाम एवं पिता/पति का नाम	लाभुक का फोटो	पता	लिंग	आयु	मोबाइल नं0 यदि हो तो	बुनकर पहचान पत्र नं0/बुनकर का कोई अन्य आई0 डी0 सं0/आर्टिजन कार्ड नं0/अन्य कोई आई0डी0 सं0 एवं दस्तावेज का नाम	किस कार्य से जुड़े है।	बुनाई/रंगाई/छपाई का अनुभव	बैंक विवरणी A/c no.- IFSC Code- Branch Name- आधार कार्ड सं0	अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											

तकनीकी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर
नाम–

कार्यान्वयन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम–

(3) (98

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

आदेश

संoसंo–ह0क0(10) विविध–24 / 2015

संकल्प सं0 1153 दि0 24.06.2015 अन्तर्गत मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के पात्र व्यक्तियों में रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेजो को शामिल करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके अन्तर्गत कण्डिका–03, के अनुसार हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से एक विहित प्रक्रिया जारी किया जाना है। योजनान्तर्गत शामिल रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार किए जाते है। विहित प्रक्रिया के अन्य निदेश यथावत् रहेंगे। यह आदेश तात्कालिक समय से लागू होगा।

अनु0–अनुसूची–क
(2) आवेदन पत्र का प्रारूप
(3) स्थल जाँच प्रतिवेदन
(4) घोषणा एवं शपथ–पत्र

ह0 / –
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1325 पटना, दिनांक– 21/7/15

प्रतिलिपिः–सभी उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) / महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/7/15
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।
2017

संकल्प सं0–1153 दि0–24.06.15 के आलोक में मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना अंतर्गत शामिल रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया

अनुसूची 'क'

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी दिशा निर्देश विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक–1491 दि0 10.09.2013 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित प्रक्रिया में निम्न संशोधन किये जाते है।

क्र0सं0	शीर्ष जिसमें संशोधन करणा है	प्रस्तावित संशोधन
1	योजना के पात्र रंगरेज आर्टिजन	रंगाई का निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति योजना के पात्र होगें। क) वस्त्र बुनाई हेतु धागा की रंगाई करने वाले ख) तैयार वस्त्र की रंगाई करने वाले ग) तैयार वस्त्र पर हस्तचालित छपाई करने वाले इनके पात्रता की अन्य शर्तें बुनकरों के सामान होगीं।
2	भुगतान की प्रक्रिया	रंगरेज आर्टिजन को भी चालू आर्टिजन क्रेडिट खाता में कच्चा माल क्रय हेतु मो0 5000/–रू0 उपलब्ध कराया जाएगा।

निदेशक,
हस्तरकघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तरकघा विकास योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन का आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम–श्री/सुश्री..

2. पिता/पति का नाम–..

3. आयु–..जन्म तिथि–..

4. लिंग (पुरूष/महिला)..

5. श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/अल्पसंख्यक) (कृपया इंगित करें)..

6. वर्त्तमान निवास का पता–..
....

7. स्थायी निवास का पता–..
....

8. फोन नं0/मोबाईल नं0 (यदि हो)..

9. आर्टिजन कार्ड नं0/पहचान पत्र नं0/अन्य कोई आई0 डी0 सं0–..
(आई0डी0 दस्तावेज का नाम)..
(स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. किस कार्य से जुडें हैं (रंगाई/छपाई)..
(एवं इसके लिए किस तरह का उपकरण/उपस्कर व्यवहार में लाया जा रहा है।)..........................

11. रंगाई/छपाई का अनुभव–..

12. वर्त्तमान बैंक खाता–(खाता सं0)–..
(a) बैंक का नाम–.. (b) शाखा का नाम–..

मैं एदत् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त व्यौरे हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–
दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम–

स्थल जाँच प्रतिवेदन

श्री/सुश्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी.. द्वारा दिए गए इस आवेदन पत्र को चेक करने के उपरान्त स्थल जाँच किया एवं पाया कि ये गत .... वर्षों से रंगाई कार्य कर रहे हैं एवं रंगरेज वर्तमान में जिस साज सज्जा पर रंगाई कार्य कर रहे हैं। उन्हें बदलने की जरूरत है। इन्हें मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के विभिन्न घटकों 1...................................... ....2. .... 3. .... के माध्यम से लाभान्वित करने की अनुशंसा की जाती है।

उद्योग विस्तार पदाधिकारी/तकनीकी पर्यवेक्षक/
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

आवेदन चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करने की अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है। आवेदन अनुशंसा नहीं किये जाने का कारण–

1.

2.

3.

महाप्रबंधक/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)

घोषणा एवं शपथ पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी..आयु ....
वर्ष.. निवासी (पूरा पता)..
....
....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ एवं वचन देता हूँ कि–

1. मै उपरोक्त पते पर रहता हूँ।

2. मेरा मुख्या पेशा रंगाई कार्य है एवं गत................. वर्षो से रंगाई कार्य लगातार कर रहा हूँ।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मुझे रंगाई कार्य हेतु साज सज्जा, कॉर्पस मनी एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है तो मैं उसी मद में राशि खर्च करूगा जिस मद में राशि विमुक्त की गयी है।

4. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मेरे द्वारा राशि का दुरूप्योग किया गया तो मुझपर कानूनी कार्रवाई की जाये।

5. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि गत 10 वर्षो के अन्दर शत प्रतिशत अनुदान पर रंगाई कार्य हेतु साज सज्जा, कॉर्पस फंड की राशि एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा नही उपलब्ध कराई गयी है।

6. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य/आश्रित इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र नहीं समर्पित किया गया है।

7. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मै उन सभी शर्तो एवं निदेशों का पालन करूंगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

8. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मुझे रंगाई कार्य हेतु साज सज्जा, कॉर्पस मनी एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है तो एक माह के अन्दर रंगाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर एवं अगुठे का निशान

(वचनकर्त्ता/घोषणाकर्त्ता का नाम)

हम संपुष्टि करते हैं कि श्री/सुश्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... ने उपरोक्त घोषणा/वचन पत्र बिना किसी दबाव/आग्रह के स्वारथ मानसिक स्थिति में हमारे सामने दिनांक–.. घोषित करते हुए हस्ताक्षरित/सम्पादित किया है।

स्थान–

हस्ताक्षर मुहर सहित

दिनांक–

विद्युतकरघा टैरिफ अनुदान

1 ①

(58)
(56)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः— 1 | ९ पटना, दिनांक— / / 2015
सं०सं०–ह०क० (13) योजना (विद्युत करघा)–03 / 14
प्रेषकः

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

अनौपचारिक रूप से पर्रामशित

विषयः—वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू० प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 220.00 लाख (दो करोड़ बीस लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू० प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 220.00 लाख (दो करोड़ बीस लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. राज्य में लगभग 14,000 विद्युतकरघा कार्यरत है। ये सघन रूप से गया, भागलपुर, बांका में है एवं बिहार शरीफ, औरंगाबाद, सीवान, खगड़िया, मुजफ्फरपुर एवं पटना में भी कार्यरत है।

यह योजना दिनांक–01.10.2006 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में सामान रूप लागू है। इस संचालित योजना में वित्तीय वर्ष 2013–14 से आवश्यकता आधारित संशोधन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर दिनांक–01.02.2014 से विद्युत अनुदान 1.50 (एक रुपये पचास पैसे) रुपये प्रति यूनिट के दर से बढ़ाकर रु0 3.00 प्रति युनिट निर्धारित किया गया है तथा विद्युत विपत्र में ही 3.00 रू० प्रति यूनिट की दर से छूट दिया जाएगा। दिनांक 01.04.13 से 31.01.14 तक 1.50 रू० प्रति यूनिट की दर से विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युत अनुदान दिया जाएगा। **Fixed charge** में कोई अनुदान नहीं दी जायेगी। अनुदान राशि की प्रतिपूर्त्ति विद्युतकरघा बुनकरों को करने के बजाय, अनुदान राशि सीधे सचिव ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा वैसे विद्युतकरघा बुनकरों को, जो विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत करते हैं, उन्हें 3.00 रू० प्रति यूनिट अनुदानित दर पर विपत्र देगें। ऊर्जा विभाग द्वारा, इस प्रकार छूट दी गई राशि का समायोजन उद्योग विभाग द्वारा इस मद में प्रदत्त अग्रिम राशि से की जायेगी। जिन विद्युत करघा बुनकरों से विपत्र की राशि की वसूली पावर वितरण कंपनी / उनके द्वारा अधिकृच फ्रेन्चआईजी द्वारा की जायेगी उन मामलों में ही छूट की राशि का समायोजन किया जायेगा। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का लंबित बकाया के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। विद्युत अनुदान की राशि का लाभ उन्हीं विद्युत करघा बुनकरों को मिले जिन्हें वस्त्र बुनाई हेतु बिजली की आपूर्ति वास्तविक रूप से की गई और विद्युत विपत्र का भुगतान किया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिसूचना सं०–प्र० 2 / विविध बैठक–07 / 2014–02 दि०–31.03.2015 द्वारा चेकस एवं बैलेंस हेतु विस्तृत अनुदेश जारी किया गया है।

संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विद्युतकरघा इकाईयों की सूची (नाम, पता एवं कन्जूमर कोड / बिल आई०डी०) सचिव ऊर्जा विभाग बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, हस्तकरघा उद्योग, माँग सख्या–23, उप शीर्ष 0103 हस्तकरघा विकास योजना, विपत्र कोड– P-2851001030103 राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5438 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–3301, सब्सिडी मद् से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना होगें। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगां।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगें जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें। वे इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार महालेखाकार (ले. एव हक0) बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

6. योजना का कोड सं.–IND5438 हैं। यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या– *ह0क0 (13) योजना (विद्युत करघा)–03/14* के पृष्ट–16/टि0 पर दिनांक–09.06.15 को प्राप्त है।

8. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *ह0क0 (13) योजना (विद्युत करघा)–03/14* के पृष्ट 19/टि0 पर दिनांक–16.06.15 को प्राप्त है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दि0–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि(2) दि0–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दि0–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1115 पटना, दिनांक– 18.6.15

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1115 पटना, दिनांक– 18.6.15

प्रतिलिपिः–सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1115 पटना, दिनांक– 18-6.15

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) (स0)/संबंधित महा0, जिला उद्योग केन्द्र/योजना शाखा, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1115 पटना, दिनांक– 18.6.15

प्रतिलिपि–प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/पटना/गया/छपरा/मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, गया/ भागलपुर/बांका/नालन्दा/औरंगाबाद/सिवान/खगडिया/मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/06/2015
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-IV

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

अधि0 सं0–प्र02/विविध बैठक–07/2014 .... पटना, दिनांक 31/03/2015

उद्योग विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–301 दिनांक–26.02.2014 के अनुसार विद्युत अनुदान राशि का लाभ उन्हीं करघा बुनकरों को दिया जाना है, जिन्हें बुनाई हेतु बिजली की आपूर्ति वास्तविक रूप में की गयी तथा विगत विद्युत विपत्र का भुगतान किया गया है । विद्युत करघा इकाईयों का अनुदान हेतु पंजीकरण तथा सत्यापन विद्युत करघा इकाईयों/बुनकरों द्वारा सही मानक में वस्त्रों के प्रकार मासिक उत्पादन, हस्तकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण अधिनियम 1985 के प्रावधान एवं अन्य सरकारी निर्देशों का पालन किये जाने, पावर लूम एवं घरेलू विद्युत खपत के लिए अलग–अलग मीटर लगाए जाने, विद्युत करघा इकाईयों जहाँ मीटर नहीं लगा है उसमें अभियान चलाकर मीटर लगाने, विद्युत करघा इकाईयों का त्रैमासिक सत्यापन करने आदि से संबंधित चेक एवं बैलेंस रखने हेतु एक मैकेनिज्म तैयार करने हेतु निम्न रूप से समिति का गठन किया जाता है:–

1. संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, डिस्ट्रीब्यूशन ।
2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ।
3. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय उप समाहर्त्ता ।
4. बुनकर महासंघ के पद धारक अध्यक्ष अथवा सचिव ।

2. उक्त समिति के संयोजक महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे ।

3. समिति उपरोक्त बिन्दुओं पर चेक एवं बैलेंस रखेगी तथा विद्युत करघा इकाईयों बुनकरों को प्रमाणित/सत्यापन करेगी ताकि सही विद्युत करघा बुनकरों को अनुदान की राशि प्राप्त हो सके तथा उनके द्वारा विद्युत करघा इकाईयों एवं घरेलू उपयोग हेतु अलग–अलग मीटर का व्यवहार किया जा सके, जिसके आधार पर अनुदान की राशि का भुगतान उन्हें मिल सके ।

4. इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

3

38 / 47

परिशिष्ठ–'क'

पंजीकरण हेतु विहित प्रपत्र

निबंधन सं0–................................/ दिनांक–...................

फोटो महाप्रबंधक / उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) द्वारा अभिप्रमाणित

1. जिला का नाम
2. पावरलूम के स्वामी का नाम, पता एवं फोन नं0
3. स्थापित विद्युतकरघा का प्रकार, संख्या, कार्यशील / अकार्यशील–
   (i) सादा करघा
   (ii) स्वचलित करघा
   (iii) अन्य (उल्लेख करें) यथा यार्न फिनिसिंग–वस्त्र फिनिसिंग
4. भूमि / भवन जिस पर विद्युतकरघा स्थापित है, का स्वामित्व– नाम, पता एवं फोन नं0
5. विद्युत कनेक्शन का प्रकार एवं Sanction Load–
   (i) Domestic Use
   (ii) विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन के लिए
   (iii) अन्य
6. विद्युत कनेक्शनधारी का नाम एवं पता
7. कार्यरत बुनकरों की संख्या
   (i) स्वंय चालित
   (ii) श्रमिकों द्वारा चालित
8. विद्युतकरघा पर बुने जाने वाले वस्त्रों का प्रकार
   (क) लूगी (काउंट) (ख) बेड कभर(काउंट)
   (ग) लिलेन (काउंट) (घ) लॉग क्लौथ(काउट)
   (ङ) टिकन पट्टा(काउंट) (च) अन्य (काउट)
9. प्रतिमाह उत्पादन (विगत माह का औसत उत्पादन)
10. विपणन का माध्यम

स्वयं	जॉब आर्डर	एजेंट के माध्यम से	सहकारी समितियों के माध्यम से	अन्य

11. अनुसूचित जाति / जन जाति यदि हो तो
12. वर्त्तमान में विद्युत कनेक्शन का आई0डी0नं0 / ग्राहक सं0 का उल्लेख करें।

दिनांक–..............................

स्थान–..............................

सत्वाधिकारी का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

निबंधन संख्या–.................................दिनांक–..........................

नाम एवं पता–...

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम

प्रशिक्षण

कौशल विकास मिशन के तहत वस्त्र प्रक्षेत्र एवं जूट प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

पत्रांक .... / पटना, दिनांक .... / 2013

सं0सं0–ह0क0(13) प्रशिक्षण–01 / 2013

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक)
बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:– **कौशल विकास मिशन के तहत राज्य में परिधान एवं जूट प्रक्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1,80,61,000 (एक करोड़ अस्सी लाख एकसठ हजार) रू0 अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में परिधान एवं जूट प्रक्षेत्र आदि में रोजगार एवं स्वरोजगार की असीम सम्भावना को देखते हुए कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के कुशल कारीगरों को कौशल उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के दो प्रतिष्ठानों / संस्थाओं यथा अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, गाँधी मैदान, पटना के माध्यम से वस्त्र उत्पादक संस्थान संस्थाओं में रोजगार / स्वनियोजन एवं सर्व श्री पुनरासर जूट पार्क लि0, मरंगा, पूर्णिया के माध्यम से जूट उत्पादक संस्थाओं में रोजगार / स्वनियोजन हेतु मो0–1,80,61,000 (एक करोड़ अस्सी लाख एकसठ हजार) रू0 व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. स्वीकृत राशि 1,80,61,000 / – (एक करोड़ अस्सी लाख एकसठ हजार) रू0 का व्यय मुख्य शीर्ष–2852, उप मुख्य शीर्ष–80, सामान्य लघु शीर्ष–102, औद्योगिक उत्पादकता माँग सं0–23, उप शीर्ष–0135, इन्टटप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–P2852801020135, विषय शीर्ष–2003, प्रशिक्षण व्यय मद से व्यय किया जायेगा।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे तथा वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यान्वयन अधिकरण से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसे महालेखाकार को भेजते हुए इसकी प्रति विभाग को देंगे।

जिन जिलों में प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा, उन जिलों के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का भौतिक निरीक्षण कर प्रतिमाह प्रतिवेदन देंगे। निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा भी समय–समय पर भौतिक निरीक्षण किया जायेगा।

4. इस योजनान्तर्गत जूट प्रक्षेत्र एवं परिधान प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण दिये जायेंगे जो निम्नवत है।

जूट प्रक्षेत्र– इस प्रक्षेत्र में सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि0, मरंगा, पूर्णिया निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण चलाऐंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण अवधि एवं राशि की विवरणी (परिशिष्ट–1) संलग्न

योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा निर्देश (परिशिष्ट–2) संलग्न ।

परिधान प्रक्षेत्र– इस प्रक्षेत्र में अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, गाँधी मैदान, पटना निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण चलाऐंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण अवधि एवं राशि की विवरणी (परिशिष्ट–1) संलग्न

योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा निर्देश (परिशिष्ट–2) संलग्न ।

वरीये लेखा पदाधिकारी, ह0 रे0 निदेशालय योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जो राशि की निकासी कर निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम के पदनाम से संचालित बैंक खाता में रखेगें। और

(213)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– ह0क0(13) प्रशिक्षण–01/2013 पृष्ठ–15 टि0 पर दिनांक–29.11.13 को प्राप्त है।
6. राशि की निकासी वित विभागीय पत्रांक–8003 वि(2) दि0–18.09.08 में निहीत पत्रांक–2561 दि0 18.09.08 में निहीत पत्रांक–2561 वि0 (2) दि0–17.04.98 के कंडिका 2 पत्रांक–2938 वि0 (2) दि0–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहीत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 कि आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्न–
- (i) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण का नाम, अवधि एवं राशि की विवरणी– परिशिष्ट–1
- (ii) क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा निर्देश– परिशिष्ट–2
- (iii) क्रियान्वयन एजेंसी को भुगतान की प्रक्रिया–परिशिष्ट–3

विश्वासभाजन
ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– दिनांक–
प्रतिलिपि– व्यय विवरणी सहित कोषागार पदा0, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1929 दिनांक– 5/12/13
प्रतिलिपि–व्यय विवरणी सहित अपरेल ट्रेनिंग एण्ड डिजाईन सेन्टर, गाँधी मैदान, पटना एवं सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि0, मरंगा, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

[signature]
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

(7) प्रगति

SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME PROGRESS REPORT

APPAREL TRAINING & DESIGN CENTRE, PATNA

As on 30th Nov. 2015

S. No	Name Of District	Training detail	SMART Operator Basic	SMART Operator (Basic +Adv.)	Surface Ornamentation Technique	SMARTQuality Checker	Total
	ATDC Patna,Sasaram, Hazipur, Saharsa, Madhubani,Jhanjharpur, Motihari, Gaya, Muzaffarpur, Chhapra	Training venue / course duration	2 months	2 months	2 months	2 months	
		Certifying body	NCVT	NCVT	NCVT	NCVT	
		No. Of applications received	1222	1007	1505	1168	4902
		No. Of candidates selected	1099	780	1369	1032	4280
		No. Of candidates under training	0	50	49	57	156
		No. Of candidates trained	971	694	1154	913	3732
		No. Of candidates employed	407	294	300	424	1425
		No. Of candidates self employed	206	165	339	NIL	710
		Total					

Principal
Apparel Training & Design Center, Patna

बिहार बुनकर कल्याण समिति

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

ऐक्ट 21, 1860

संख्या- ३२५ वर्ष- ८५-८६

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

कुम्हार कल्याण समिति बिहार

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 21, 1860 के अधीन आज यथाविधि निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख तीस मास नवम्बर

सन् उन्नीस सौ पचासी को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

Assistant Inspector General of Registration, Bihar

सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION ... BIHAR

निबन्धन विभाग

(2)

अधिसूचना

बिहार बुनकर कल्याण समिति (सोसाईटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित, निबंधन संख्या 335 वर्ष 85–86) की नियमावली के कंडिका–11 में प्रदत शक्ति के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार उक्त नियमावली में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैः–

(i)– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के स्थान पर अब माननीय् उद्योग मंत्री, संस्था के अध्यक्ष होंगे।

(ii)– संस्था के उपाध्यक्ष के संबंध में तथा कार्यकारिणी समिति के गठन पर निर्णय बिहार बुनकर कल्याण समिति की अगली बैठक में लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार
दिनांक–

ज्ञापांक–

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई गजट कोषाग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार
दिनांक– 15/9/11

ज्ञापांक– 1893

प्रतिलिपिः–

1– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार,पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ
2– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ
3– मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना
4– विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना
5– वित्त आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना
6– प्रधान सचिव के सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना
7– प्रधान सचिव के सचिव,समाज कल्याण विभाग,बिहार,पटना
8– प्रधान सचिव के सचिव,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,पटना
9– प्रधान सचिव के सचिव,सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
10– प्रधान सचिव के सचिव,ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना
11– प्रधान सचिव के सचिव,ग्रामीण विकास विभाग, बिहार,पटना
12– विशेष कार्य पदाधिकारी,वित्त (सांख्यिक वित्त)विभाग,बिहार,पटना
13– निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम–सह–सदस्य सचिव
14– श्री अलीम अंसारी, ग्रामपो0–आउटपोस्टलेन,फाडी गली, नाथनगर, भागलपुर
15– श्री नसीमुद्दीन अंसारी,नसीब मैसन,सकुनत खुर्द,बिहारशरीफ नालन्दा
16– श्री तारकेश्वर नाथ,पटवाटोली, मानपुर, गया
17– श्री मुस्तला अली कैशर,ग्राम–सरैया,पो0–तलवारा, जिला–सिवान
18– मो0अताउल रहमान असारी,पिता–मो0हनान अंसारी,ग्रा–पो0–भउरा मधुबनी

ह0/– 15.9.11
सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

ह0क0(10)बु0क0स0–05/2011

संख्या................./2014 बिहार में हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ गठित राज्य स्तरीय बिहार बुनकर कल्याण समिति, जिसकी निबंधन सं0–335/85–86 है, के अन्तर्गत सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले दो वर्षों के लिए मनोनीत किया जाता है –

1. श्री शिव शंकर तांती, पिता–श्री निरंजन तांती, ग्राम–गनौरा वादरपुर, पो0–शहजादपुर, नाथनगर।
2. मो0 रिजवान, पिता–मो0 कामिल, ग्राम–शाहजंगी, पो0–हबीबपुर, भागलपुर।
3. श्री अब्दूल मन्नान अंसारी, पिता– स्व0 अब्दूल करीम अंसारी, जमालहाता, सिवान।
4. मो0 अताउर रहमान पिता–स्व0 हन्नान अंसारी, भौआरा, मधुबनी।
5. श्री रामदयाल पाल, पिता–स्व0 केशवरपाल, तेलहारा, अम्बा, कुटुम्बा, औरंगाबाद।

इस पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का आदेश प्राप्त है।

पूर्व में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन संबंधी निर्गत अधिसूचना सं0–2516 दि0–30.11.10 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–....................................../ पटना, दिनांक–........................../2014

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–1581/ पटना, दिनांक–30/9/2014

प्रतिलिपिः– 1– सभी नव मनोनीत सदस्यों को सूचनार्थ।
2– समिति के अन्य सभी सदस्यों को सूचनार्थ।
3– मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना।
4– मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना।
5– विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना।
6– वित्त आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना।
7– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
8– निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.09.14

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना